

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन, जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी— विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
121 / 2022

दायर दिनांक
13.07.2022

निर्णय दिनांक
22.09.2022

अनवान

1. नारायणलाल दत्तक पुत्र गोपी जाति गुसाई उम्र वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

—प्रार्थी

बनाम

1. लक्ष्मी पत्नी उंकारलाल जाति खण्डेलवाल उम्र वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
2. कंचनदेवी पत्नी अर्जुनलाल जाति खण्डेलवाल उम्र वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
3. केसर पुत्री गोपीलाल जाति खण्डेलवाल उम्र वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
4. छगनलाल पुत्र गोपीलाल जाति खण्डेलवाल उम्र वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
5. प्रहलाद पुत्र गोपीलाल जाति खण्डेलवाल उम्र वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
6. पुष्कर लाल पिता अर्जुनलाल जाति खण्डेलवाल उम्र वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
7. पारस पिता गोपीलाल जाति खण्डेलवाल उम्र वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
8. विकास पिता अर्जुन जाति खण्डेलवाल उम्र वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
9. श्यामलाल पिता गोपीलाल जाति खण्डेलवाल उम्र वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
10. कला पत्नी किशनलाल जाति मेनारिया उम्र वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
11. जयोदा पत्नी जगदीश जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
12. भागवन्ती पत्नी सोहनलाल जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
13. अम्बाबाई पत्नी मांगीलाल जाति ब्राह्मण उम्र वयस्क निवासी नपानिया तहसील डूंगला जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।



14. राहुल पिता उंकारलाल जाति खण्डेलवाल उम्र वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
15. लक्ष्मीलाल पिता अर्जुनलाल जाति खण्डेलवाल उम्र वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
16. मोहनलाल पिता नारायण जाति मेघवाल उम्र वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
17. रामचन्द्र पिता गणेश जाति मेघवाल उम्र वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
18. किशनलाल पिता गुलाब जाति मेनारिया उम्र वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।
19. गोपीबाई पत्नी स्व0 रामभारती जाति गुसाई उम्र वयस्क निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ (राज0)।

—अप्रार्थीगण

उपस्थिति:— अधिवक्ता श्री शब्बीर मोहम्मद
एक तरफा

प्रार्थी
अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम:—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा करजाली पटवार हल्का करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 603 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 2746 रकबा 0.09 है0, खाता संख्या 219 की आराजी संख्या 2745 रकबा 0.11 है0 तथा खाता संख्या 218 की आराजी संख्या 2706 रकबा 0.13 है0 प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजीयात जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजीयात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा-चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 22.09.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 से 12 व 15 से 19 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर-बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार कपासन को सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार कपासन को आदेश दिया जाता है कि मौजा करजाली पटवार हल्का करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2074-2077 के खाता संख्या 603 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 2746 रकबा 0.09 है0, खाता संख्या 219 की आराजी संख्या 2745 रकबा 0.11 है0 तथा खाता संख्या 218 की आराजी संख्या 2706 रकबा 0.13 है0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 22.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

